

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

फैक्ट शीट

1. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल हैक्टेयर में -

आरक्षित वन भूमि	- 8.161 है०	}
संरक्षित वन भूमि	- 4.839 है०	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	- 0.630 है०	
वन पंचायत भूमि	- 4.775 है०	
निजी भूमि	- 7.416 है०	
योग	- 25.821 है०	

कुल वन भूमि 18.405 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम -राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

3. वन प्रभाग का नाम -अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है -

✓ हॉ / नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है -

✓ हॉ / नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है

✓ हॉ / नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है

✓ हॉ / नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है

✓ हॉ / नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है

✓ हॉ / नहीं

10. बॉज प्रजाति के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन

✓ हॉ / नहीं

संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा

उन्हे कम करने का प्रयास किया गया है

✓ हॉ / नहीं

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

13. सरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक

रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है

✓ हॉ/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है

✓ हॉ/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता

प्रमाण पत्र संलग्न है

✓ हॉ/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है

✓ हॉ/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

✓ हॉ/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

✓ हॉ/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कॉरीडोर का हिस्सा है

✓ हॉ/नहीं

यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है

✓ हॉ/नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है

✓ हॉ/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी

भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करे — संलग्न है।

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगो से भरा गया है हॉ/नहीं

23. यदि सड़क का आरभिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है

✓ हॉ/नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है हॉ/नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय (उल्लंघन नहीं हुआ है)

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाएँ/वैकल्पिक सरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं

✓ हॉ/नहीं

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का दू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

27. वैकल्पिक सरेखनों को निरस्त किये जाने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) संलग्न है
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5 है० अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
29. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है
30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है
अथवा
- मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है
31. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है
32. क्या प्रस्तावत में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटों प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं
यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है
34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है
36. क्या चैक लीस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं
37. मलुवा निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र की वे लो०नि०वि० द्वारा
प्रस्तावित मलुवा निस्तारण योजना से सहमत हैं
38. प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र की वृक्षारोपण हेतु जो क्षेत्र चयनित किया गया है
वह प्रबन्धकीय एवं वृक्षारोपण दृष्टिकोण से उचित हैं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित
किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।

अपर सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।